

खाद्य सुरक्षा विभाग**अधिसूचना**

दिल्ली, 11 सितम्बर, 2013

सं. फा. 7(180)/12/ डी.ओ.एफ.एस./प्रशा./पार्ट फाइल/4641-56.—के परिणामस्वरूप सक्षम अधिकारी प्रधान सचिव, दिल्ली, द्वारा नियुक्त पदनामित अधिकारी श्री एस. बी. शर्मा, श्री राजपाल सिंह और विरेन्द्र सिंह मान को आयुक्त खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 36 की उप-धारा (1), द्वारा प्रदान की गई शक्तियों को प्रयोग करते हुए, इन पदनामित अधिकारियों को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के समूचे क्षेत्र के लिए खाद्य सुरक्षा प्रशासन का प्रभारी नियुक्त करते हैं।

के. जे. आर. बर्मन, आयुक्त (खाद्य सुरक्षा)

DEPARTMENT OF FOOD SAFETY**NOTIFICATION**

Delhi, the 11th September, 2013

No. F. 7(180)/12/DoFS/Admn/Pt. File/4641-56.—Consequent upon appointment of S/Sh. S. B. Sharma, Raj Pal Singh and Virender Singh Mann as Designated Officer by the Competent Authority i.e. Chief Secretary, Delhi, the Commissioner of Food Safety, Department of Food Safety, in exercise of power conferred under sub-section (1) of Section 36 of the Food Safety and Standards Act, 2006, further appoints these Designated Officer to be in-charge of Food Safety Administration for the entire area of National Capital Territory of Delhi.

K. J. R. BURMAN, Commissioner (Food Safety)